अति–आवश्यक
स्मरण–पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)(321)पोषा./D.I./ICDS/2014/ 15103-135 जयपुर, दिनांक: 3.3.15

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के माध्यम से पूरक पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(1)(310)पो/SHG/मबावि/2007/7082–892 दि. 21.08.14, 78533–565 दि. 16.09.14 एवं 134–167, दि. 02.01.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 196/2001 में दिनांक 07.10.2004 को पारित आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा आगामी तीन माह में ऐसी परियोजनाएं, जिन्हें पूर्व में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था हेतु चयनित किया जा चुका है, किन्तु विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था असफल रहने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है, में पुनः विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु कार्ययोजना संलग्न करते हुए निर्धारित दिनांक अथवा इससे पूर्व चयनित परियोजनाओं में विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे।

विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 10.02.2015 में अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी आगामी माह से पूरक पोषाहार की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त निर्देशों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि आपके जिले में संचालित परियोजनाओं में अभी तक विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ नहीं करवाई गई है तथा केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार आवंटन हेतु मांग पत्र निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे हैं। आंगनबाडी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने के दृष्टिगत विभाग द्वारा अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 09.02.2015 को एक माह की आवश्यकतानुसार पोषाहार का आवंटन किया जा चुका है। **आगामी माह से उक्त परियोजनाओं हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूरक पोषाहार का आवंटन नहीं किया जावेगा।** पूरक पोषाहार के अभाव में आंगनबाडी केन्द्र ड्राई होने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

विभाग द्वारा निरन्तर निर्देशों के उपरान्त भी विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ नहीं कराना आपकी राज कार्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना को प्रदर्शित करता है। अतः विभागीय निर्देशों के उपरान्त भी विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था प्रारम्भ नहीं कराने के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण के साथ निम्नलिखित प्रारूप में सूचना अविलम्ब प्रेषित करावें:–

जिला .....

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिनमें विभागीय निर्देशानुसार दि. 31.12.14 तक विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ की जानी थी।	परियोजना का नाम जिनमें विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।

(डॉ. पृथ्वी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)(321)पोषा./D.I./ICDS/2014/ जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि :–

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ..... को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय निर्देशानुसार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। पोषाहार के अभाव में आंगनबार्डी केन्द्र ड्राई पाये जाने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये अनुशासनात्मक प्रारम्भ कर दी जावेगी।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु

(आर.एस.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in